

**डिक्री नमूकदमें इब्दादाई**  
( आदेश 20 नियम 6,7 जाब्दा दीवानी )  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर**  
**पिठासिन अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर0ए0एस0)**

राजस्व वाद संख्या- 221/2017

- 1- रामनिवास पुत्र गुमानाराम जाति जाट निवासी रूपाथल तह. जायल जि. नागौर।
  - 2- जिमनाराम पुत्र गुमानाराम जाति जाट निवासी रूपाथल तह. जायल जि. नागौर।
  - 3- भंवरलाल पुत्र निम्बाराम जाति जाट निवासी रूपाथल तह. जायल जि. नागौर।
- .....वादीगण

**बनाम**

- 1- बक्साराम पुत्र गुमानाराम जाति जाट निवासी रूपाथल तह. जायल जि. नागौर।
  - 2- तहसीलदार जायल जिला नागौर।
- ..... प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती हैं कि :-

1- वादी सं0 01 रामनिवास के हक बंट में मौजा रूपाथल के खेत खसरा नम्बर 455 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा पुरा व खसरा नम्बर 573 रकबा 12 बीघा में से 02 बीघा 17 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुशार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

2- वादी सं0 02 जिमनाराम के हक बंट में मौजा रूपाथल के खेत खसरा नम्बर 406 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा में से 13 बीघा, खसरा नम्बर 573 रकबा 12 बीघा में से 02 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 401/829 रकबा 05 बिस्वा सम्पूर्ण नजरी नक्शा के अनुशार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

3- वादी सं0 03 भंवरलाल के हक बंट में मौजा रूपाथल के खेत खसरा नम्बर 436 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा पूरा, खसरा नम्बर 406 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा में से 02 बीघा व खसरा नम्बर 573 रकबा 12 बिघा में से 03 बीघा नजरी नक्शा के अनुशार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।



**उपखण्ड अधिकारी**  
**जायल, जिला नागौर**

राजस्व लोक अदालत अभियान  
न्याय आपके द्वार-2018

4- प्रतिवादी सं० 01 बक्शाराम के हक बंट में मौजा रूपाथल के खेत खसरा नम्बर 406 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा में से 04 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 573 रकबा 12 बिघा में से 03 बीघा 17 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुशार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

5- मौजा रूपाथल के खेत खसरा नम्बर 573 रकबा 12 बिघा में से 09 बिस्वा भूमि वादी रामनिवास, जिमनाराम व प्रतिवादी बक्साराम के शामिलती में नजरी नक्शा के अनुशार रखी जाकर खातेदार घोषित किये जाते है।

आज की तारी लीज X मुबलिक X बाबत् X खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर X फीस सदी सालाना ख, तारीख वसूल योगो तक X को अदा करें।  
बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 09.05.18 को जारी किया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपस्थान अधिकारी जायल  
जायल, जिला नागौर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्नर बाबत् इजराय हुक्मीजान मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्नर बाबत् इजराय हुक्मीजान मुतफर्रिक	-	-

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपस्थान अधिकारी जायल  
जायल, जिला नागौर